कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 INDIA भारत पाँच रुपये FIVE RUREES

विलोपित विलोपित

95

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

R. 3552/II/15

निगरानी —दो / 15

सीताराम पुत्र मोतीसिंह

अध्यक्ष हनुमान मंदिर ट्रस्ट

मिरगावली तहसील बासौदा

जिला विदिशा म0प्र0 ---- आवेदक

विरुद्व

मध्यप्रदेश शासन ---- अनावेदक

श्री ...... द्वारा आज दि. 2/11/15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 विरूद्व न्यायालय कलेक्टर जिला विदिशा का प्र0क0 01/अपील/15—16 आदेश दिनांक 03.10.15 एवं अनुविभागीय अधिकारी बासौदा जिला विदिशा का पत्र कमांक क्यू/प्रवा/2015/जी.बी.न.507 दिनांक 15.09.15 के विरुद्व यह निगरानी प्रस्तुत है ।

श्रीमान् न्यायालय,

आवेदक की ओर से यह निगरानी अन्दर अवधि निम्न प्रकार प्रस्तुत है ।

प्रकरण के प्रमुख तथ्य :—

1—यह कि प्रकरण का संक्षिप्त स्वरूप यह है कि आवेदकगण सीताराम आदि निवासी बासौदा ने दिनांक 19.7.2001 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम मिरगावली तहसील बासौदा जिला विदिशा में श्री हनुमान जी का मंदिर है जो सार्वजनिक मंदिर है, इस मंदिर व उसकी भूमि की व्यवस्थां सुचारू रूप से हो सके इस हेतु सभी सदस्यों ने ग्राम पंचायत की सहमति से

XXIX(a)-BR(H)-11

95

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3552-एक/15 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक अधिवक्त श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 21-01-19 को आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	